संख्या-2/2022/I/152241/2022-40-1002(099)/136/2019-1

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) मण्डलायुक्त, सहारनपुर,
(2) मण्डलायुक्त, आगरा,
(3) मण्डलायुक्त, मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022

विषयः- अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2021-22 की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त, सहारनपुर के पत्र संख्या- 2968/जे०ए०/2021-22 दिनांक 03 मार्च, 2022, मण्डलायुक्त, आगरा के पत्र संख्या-914/15-1/2021-22 दिनांक 21 जनवरी 2022 , एवं मण्डलायुक्त, , मेरठ के पत्र संख्या-1116/15-245/2021-22 , दिनांक 14 -जनवरी 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उ0 प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधित विज्ञप्ति संख्या-402/चालीस- 10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा ''पुरस्कार की धनराशि' को संशोधित कर रू0 50,000/- ( रू0 पचास हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति संख्या-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गई शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अन्तर्जातीय विवहित दम्पति को प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को रू0 3,50,000/-, मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को रू0 2,00,000/- एवं मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को रू0 4,00,000/- एवं अर्थात् कुल रू0 9,50,000/- ( रूपये नौ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि से अन्तर्जातीय विवाह के लाभार्थियों को नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के.50 प्रतिशत$ रा.50 प्रतिशत) -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छायाप्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का व्यय 31 मार्च, 2022 तक सम्भव हो सके।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-9-3630- एक्स- 2021- 22 दिनांक- 31 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः2/2022/1/152241/2022-40-1002(099)/136/2019-1तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
(3) वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर (ऑडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज।
(4) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक ) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0 प्र0 शासन।
(6) गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।